FAQ

बार–बार पूछे
जाने वाले प्रश्न

अभिरक्षण समझौता
(सेफगार्ड)

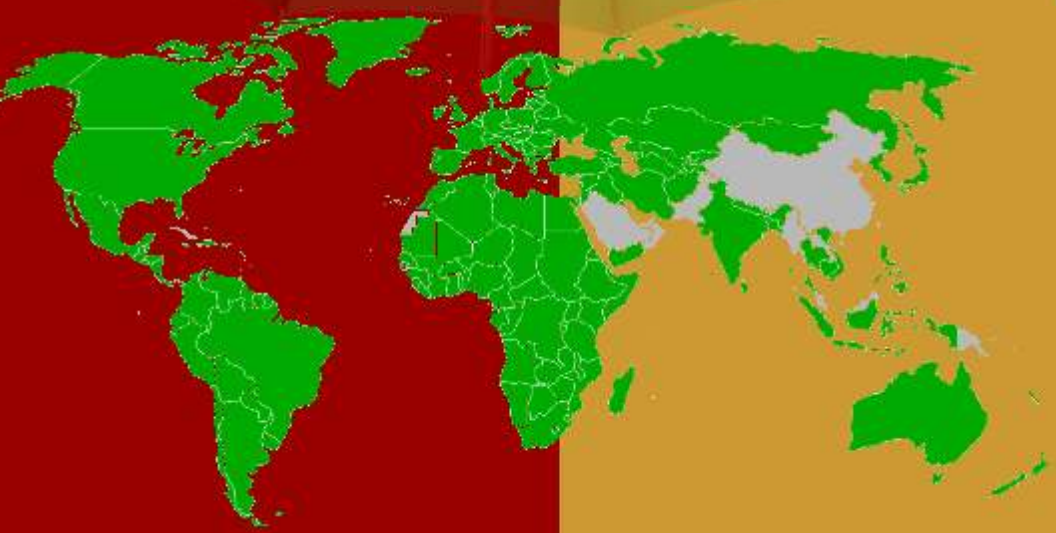

डब्लूटीओ केंद्र
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आमुख

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) अभिरक्षण समझौता सदस्य देशों के लिए संगठन में सुनिश्चित बाध्यताओं के कारण आयात में आयी आकस्मिक वृद्धि, जिससे समान या सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचती है या संभावित होती है, का सामना करने के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेज़ है। इसे सामान्यतया 'पलायन उपबंध' भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों को सीमाशुल्क पर बाध्यकारी उच्चतमांक तथा आयात की सीमा निर्धारित नहीं करने की वचनबद्धता के संदर्भ में संगठन की बाध्यताओं को अस्थायी तौर पर रोकने का कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। वर्त्तमान आर्थिक मंदी के दौर में, इस विषय पर जागरुकता बढ़ाने की और अधिक आवश्यकता है। यह नीति निर्माताओं और उद्योग को इस दस्तावेज का अधिक सुविज्ञ एवं पेशेवर तरीके से उपयोग करने, तथा अन्य डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य के ऐसे किसी उपाय का उपयुक्त जबाब देने में मदद करता है।

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र ने वाणिज्य विभाग के सहयोग से, विश्व व्यापार संगठन के अभिरक्षण समझौते एवं अभिरक्षण उपायों के भारतीय कानूनी ढाँचे पर एक सामान्य प्रश्नावली तैयार की है। इसके अतिरिक्त, प्रश्नावली अधिमान्य अभिरक्षण उपायों, जो भारत की भागीदारी वाले विभिन्न क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का एक हिस्सा है, के अपेक्षाकृत नये विषय को भी छूती है। आशा है कि यह प्रकाशन इस दस्तावेज के संभावित उपयोगकर्त्ताओं सहित विभिन्न जीवन–क्षेत्रों के पाठकों के लिए एक उपयोगी पुस्तिका साबित होगी।

नई दिल्ली
25 अगस्त 2009

के.टी. चाको
निदेशक, आई.आई.एफ.टी

आभार

- श्री शशांक शेखर, प्रोफेसर, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र एवं श्री रंजीत कुमार, संयुक्त आयुक्त, अभिरक्षण निदेशालय ने मिलकर यह प्रश्नावली तैयार की है।
- श्री अभिजीत दास, उप परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, यूएनसीटीएडी, भारत कार्यक्रम, श्री आर.एस.रत्न, प्रोफेसर, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र, एवं आर.के. गुप्ता, पूर्व महानिदेशक, अभिरक्षण तथा वर्तमान सदस्य, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय आबकारी निराकरण आयोग ने प्रश्नावली की विषय–वस्तु को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
- विशेष रूप से डॉ प्रज्ञा अवस्थी, श्री नकुल दवे, श्री शुभेन्द्रु शेखर, संसाधन केन्द्र, विश्व व्यापार संगठन, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल (म.प्र.) द्वारा इस प्रश्नोत्तरी के उत्त्म हिंदी अनुवाद।
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के हिंदी कक्ष से राजेन्द्र प्रसाद का अनुवाद व संपादकीय कार्यों के लिए सहयोग

अभिरक्षण समझौता

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रशुल्क (टैरिफ) एवं गैर–प्रशुल्क (नॉन–टैरिफ) उपाय या दोनों के द्वारा विदेश व्यापार को नियंत्रित करती है। हाँलाकि सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) समझौते में शामिल होने के कारण प्रशुल्क (टैरिफ) एवं गैर–प्रशुल्क (नॉन–टैरिफ) उपायों को लागू करने में कुछ प्रतिबन्धों को स्वीकार किया है। ऐसी विधा का संबंध विशेष आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने हेतु अभिरक्षण कार्यवाही से है।

अभिरक्षण पर डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार अस्थायी का समयावधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) एवं गैर–प्रशुल्क (नॉन–टैरिफ) उपाय या दोनों ही उपायों को अधिरोपित कर सकती है, यदि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को अत्यधिक नुकसान पहुँचता हो, या पहुँचने का खतरा हो।

भारतीय घरेलू उद्योग, बढ़े हुए आयात के कारण विपरीत परिस्थिति का सामना करने के उपाय के रुप में इस प्रावधान का उपयोग अपने हितों की रक्षा के लिए तब तक कर सकते हैं, जब तक कि वे अधिक उदार एवं खुले व्यापारिक व्यवस्था का सामना करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होकर संरचनात्मक सामंजस्य न बिठा लें।

डब्ल्यू.टी.ओ. अभिरक्षण प्रावधान

प्रश्न 1: अभिरक्षण उपाय क्या है?

उत्तर: अभिरक्षण उपाय किसी विशेष उत्पाद के बढ़े हुए आयात के सापेक्ष एक आकस्मिक कार्यवाही है, जब ऐसे आयात से आयातक देश के घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचता है, या पहुँचने की आशंका रहती है। ऐसा बढ़ा हुआ आयात अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरुप, तथा संबंधित डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देश की बाध्यताओं (प्रशुल्क रियायत सहित) के कारण होना चाहिए।

प्रश्न 2: अभिरक्षण उपाय किस रुप में किया जाता है?

उत्तर: अभिरक्षण उपाय या तो सीमाशुल्क में वृद्धि (जो डब्ल्यू.टी.ओ. में नियत दरों से अधिक भी हो सकती है) या आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के अधिरोपण, जिसका मूल अभिप्राय संबंधित उत्पाद के आयात हेतु कोटा (नियतांश) निर्धारित करना है, द्वारा किया जाता है। यह दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, जिसे प्रशुल्क दर नियतांश कहा जाता है। उदाहरण के लिए, नियत परिमाण से अधिक आयात होने पर अभिरक्षण शुल्क आरोपित किया जा सकता है, या आयात के भिन्न परिमाण के लिए अभिरक्षण शुल्क के भिन्न दर नियत किए जा सकते हैं।

प्रश्न 3: अभिरक्षण उपायों के क्षेत्रों को नियन्त्रित करने वाले डब्ल्यू.टी.ओ. प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: गैट 1947 (अब गैट 1994) के अन्तर्गत अभिरक्षण उपायों का अध्यारोपण गैट (प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार) की धारा 19 द्वारा विनियमित होते हैं। उरुग्वे दौर में नये अभिरक्षण समझौते द्वारा इस धारा को अधिक स्पष्ट किया गया।

प्रश्न 4: अभिरक्षण पर डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के अन्तर्गत अभिरक्षण कार्यवाही के लिए मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं?

उत्तर: अभिरक्षण कार्यवाही के लिए मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार हैं:

(1) ऐसे उपाय अवश्य अस्थायी होने चाहिए;

(2) ये तभी लागू हों, जब बढ़े हुए आयात से किसी प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुँचता हो, या पहुँचने की आशंका हो;

(3) ये उपाय सभी डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देशों पर लागू हों, व सबसे पसंदीदा देश के आधार पर हों;

(4) कुछ अपवादों को छोड़कर, इन्हें लागू अवस्था में उत्तरोत्तर उदार बनाना चाहिए;

(5) यह कि उद्योग को आयात प्रतिस्पर्धा से सामंजस्य बनाना चाहिए;

(6) यह कि उपाय लागू करने वाले देश को उन सदस्य देशों को क्षतिपूर्त्ति करना चाहिए, जिनका व्यापार अभिरक्षण उपाय के तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक लागू रहने पर विपरीत रुप से प्रभावित होता है।

प्रश्न 5: क्या इस आवश्यकता का कोई अपवाद है कि अभिरक्षण शुल्क सभी देशों द्वारा सबसे पसंदीदा देश के आधार पर लागू किए जाएं ?

उत्तर: हाँ, सभी देशों से आयात पर अभिरक्षण शुल्क लागू करने की वैधानिक आवश्यकता का अपवाद है। यह विकासशील देशों के लिए विशेष एवं भिन्न बर्ताव के अन्तर्गत आता है। इसके अन्तर्गत अभिरक्षण शुल्क विकासशील देशों से कम मात्रा में आयात के लिए लागू नहीं किया जाता है। किसी विकासशील देश के लिए, कम मात्रा आयात की सीमा संबंधित उत्पाद के कुल आयात का 3 प्रतिशत है। जब एक से अधिक विकासशील देश के आयात की मात्रा 3 प्रतिशत से कम हो, तो ऐसे सभी विकासशील देशों से आयात की कुल मात्रा अभिरक्षण कार्यवाही करनेवाले देश में कुल आयात के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 6: अभिरक्षण उपाय लागू करने के लिए कौन–सी मुख्य शर्त्तें निर्धारित की जानी चाहिए?

उत्तर: मुख्य शर्त्तें, जो अभिरक्षण उपाय लागू करने के लिए निर्धारित होनी चाहिए, हैं:

(1) बढ़ा हुआ आयात;

(2) घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान, या उसकी आशंका;

(3) बढ़ा हुआ आयात, एवं घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान, या उसकी आशंका के बीच हेतुक संबंध।

प्रश्न 7: 'बढ़ा हुआ आयात' पद का क्या अर्थ होता है?

उत्तर: बढ़े हुए आयात का अर्थ होता है, निरपेक्ष रुप से आयात के परिमाण में वृद्धि या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष वृद्धि।

प्रश्न 8: 'गंभीर क्षति' पद का क्या अर्थ होता है?

उत्तर: अभिरक्षण समझौते में, 'गंभीर क्षति' पद का अर्थ होता है घरेलू उद्योग की स्थिति को महत्वपूर्ण व्यापक नुकसान। गंभीर क्षति के निर्धारण के लिए जाँचकर्त्ता प्राधिकारी को उद्योग की दशा प्रभावित करनेवाले सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करना होता है। कारक, जिनका विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए, हैं–आयातवृद्धि का परिमाण एवं निरपेक्ष तथा सापेक्ष दर, बढ़े हुए आयात का बाजार भाग, विक्रय के स्तर में परिवर्त्तन, उत्पादन, उत्पादनशीलता, क्षमता का उपयोग, लाभ एवं हानि, तथा घरेलू उद्योग के रोजगार।

प्रश्न 9: 'गंभीर क्षति की आशंका' का क्या अर्थ होता है?

उत्तर: गंभीर क्षति की आशंका ऐसी आशंका है, जो तथ्यों के द्वारा स्पष्टतया समीप दिखती है, तथा आरोप, अनुमान या सुदूर संभावना पर आधारित नहीं होती। जहाँ गंभीर क्षति की आशंका होती है, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं होने पर भी अभिरक्षण उपाय लागू किया जाता है।

प्रश्न 10: 'घरेलू उद्योग' पद का क्या अर्थ होता है?

उत्तर: घरेलू उद्योग को किसी डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देश की सीमा में सक्रिय समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों के समूह या ऐसे उत्पादकों के रूप में पारिभाषित किया जाता है, जिनके पास सामूहिक रूप से उन उत्पादों के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है। 'प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद' की अवधारणा को प्रस्तुत कर, यह परिभाषा बढ़े हुए आयात का घरेलू उद्योग के विस्तृत क्षेत्र पर प्रभाव के मूल्यांकन की अनुमति देता है, वनिस्पत् कि जो एंटी–डंपिंग या छूट–विरोधी अनुदानविरोधी अन्वेषणों में स्वीकार्य है।

प्रश्न 11: 'हेतुक संबंध' (Casual link) पद का क्या अर्थ होता है?

उत्तर: अभिरक्षण उपाय लागू करने हेतु गंभीर क्षति का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उत्पाद के बढ़े हुए आयात एवं गंभीर क्षति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निष्पक्ष साक्ष्य नहीं हों। डब्ल्यू.टी.ओ. समझौता यह भी स्पष्ट करता है कि जब बढ़े हुए आयात से भिन्न कारक घरेलू उद्योग को साथ–ही–साथ क्षति पहुँचा रहे हों, तो ऐसी क्षति का कारण बढ़ा हुआ आयात नहीं समझना चाहिए।

प्रश्न12: अभिरक्षण उपाय लागू करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: किसी डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देश की सीमा में सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप संचालित अन्वेषण के पश्चात् ही अभिरक्षण उपाय लागू किया जा सकता है। डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते में विस्तृत प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं शामिल नहीं हैं। अन्वेषण प्रक्रिया की स्थापना एवं प्रकाशन के लिए घरेलू कानूनों की आवश्यकता है। डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के अन्तर्गत समस्त उन सुसंगत मुद्दों के विस्तृत विश्लेषण के अन्वेषण एवं प्रकाशन की उचित सूचना की आवश्यकता होती है, जिससे बढ़े हुए आयात, घरेलू उद्योग की क्षति एवं हेतुक संबंध का पता लगता है।

प्रश्न13: अभिरक्षण कार्यवाही के फलस्वरूप किस स्तर तक शुल्कों को बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर: अभिरक्षण पर डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते की एक सामान्य आवश्यकता यह है कि अभिरक्षण उपाय उसी सीमा तक लागू किए जाएं, जहाँ तक घरेलू उद्योग के गंभीर नुकसान को रोका व सुधारा जा सके एवं समायोजन किया जा सके। समझौता इसके अतिरिक्त कोई मार्गदर्शन नहीं देता कि किस प्रकार अभिरक्षण उपाय के स्तर को प्रशुल्क में वृद्धि के रूप में निर्धारित किया जाए।

प्रश्न14: अभिरक्षण कार्यवाही के रूप में कौन–सी सीमा तय की जा सकती है?

उत्तर: जहाँ अभिरक्षण उपाय परिमाणात्मक प्रतिबंध का रूप लेता है, नियतांश की सीमा सबसे हाल के तीन प्रतिनिधि वर्षों में वास्तविक आयात के स्तर से कम नहीं होना चाहिए, जब तक कि किसी भिन्न निम्नतर स्तर निर्धारित करने हेतु स्पष्ट औचित्य नहीं हो। विगत बाजार हिस्से के आधार पर प्रदायकर्त्ता देशों में कोटा हिस्से का आवंटन निर्धारित करने के लिए कानून भी हैं। हाँलाकि नियतांश स्तरों को परिवर्त्तित (नियंत्रित) भी किया जा सकता है, अगर :

(1) कुछ देशों से आयात में प्रतिशत वृद्धि आयात की सकल वृद्धि के असंगत हो,

(2) सामान्य नियमों से विचलन के कारण भी उचित हों, तथा

(3) इस प्रकार के विचलन की शर्तें संबंधित उत्पाद के सभी प्रदायकर्त्ताओं के लिए न्यायसंगत हों।

प्रश्न 15: एक बार अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित कर दिए जाने पर, क्या यह अचर (Constant) रहता है?

उत्तर: नहीं। प्रतिपाटन शुल्क या प्रतिकारी शुल्क से भिन्न, अभिरक्षण शुल्क अधिरोपन के पश्चात स्थिर नहीं रहता है। यदि कोई अभिरक्षण उपाय एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए लागू रहता है, लागू रहने की अवधि में नियत अन्तराल पर इसे उत्तरोत्तर उदार बनाया चाहिए। यदि कोई अभिरक्षण उपाय तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए लागू रहता है, इसकी मध्यावधि समीक्षा की जानी चाहिए एवं इसी आधार पर अभिरक्षण उपाय को वापस लिया जा सकता है या उदारीकरण की गति बढ़ायी जा सकती है।

प्रश्न 16: अभिरक्षण उपाय की महत्तम अवधि क्या होती है?

उत्तर: अभिरक्षण उपाय की महत्तम अवधि सामान्यतया चार वर्षों की होती है। हाँलाकि इसे अगले चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि छानबीन के बाद यह पाया जाता है कि इसकी निरन्तरता किसी गंभीर क्षति के निवारण या उपचार के लिए आवश्यक है एवं केवल वहीं, जहाँ उद्योग के अनुकूल होने का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार अभिरक्षण शुल्क के लागू रहने की आरंभिक अवधि तथा इसके विस्तार की कुल अवधि सामान्यतया आठ वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि विकासशील देश इसे दस वर्षों तक लागू रख सकते हैं।

प्रश्न 17: क्या निर्यातक देश अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित करनेवाले देश के विरुद्ध प्रतिकारी कदम उठा सकते हैं?

उत्तर: अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित करनेवाले देश को लागू अभिरक्षण उपाय के प्रभाव की प्रतिपूर्त्ति हेतु निर्यातक सदस्य देशों के प्रति रियायत एवं बाध्यताओं का एक वस्तुतः समान स्तर बनाने का प्रयास करना होता है। निर्यातक देश अभिरक्षण शुल्क की सीमा तक रियायतों को स्थगित कर प्रतिकार कर सकता है। हाँलाकि स्थगन का यह अधिकार

अभिरक्षण शुल्क लागू होने के पहले तीन वर्षों में उपलब्ध नहीं होता है, यदि अभिरक्षण शुल्क गैट की धारा 19 एवं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) अभिरक्षण समझौते के प्रावधानों के अनुपालन में आयात में पूर्ण वृद्धि के फलस्वरूप लागू किया गया हो।

प्रश्न 18: क्या समान उत्पाद पर अभिरक्षण उपाय के पुनः प्रयोग पर कोई रोक है?

उत्तर: सामान्यतया किसी वस्तु पर कोई अभिरक्षण उपाय मूल अभिरक्षण उपाय की समान अवधि के लिए पुनः लागू नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभिरक्षण उपाय दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, तो मूल उपाय की समाप्ति पर सामान्यतया दो वर्ष की अवधि के लिए किसी अभिरक्षण कार्यवाही की शुरूआत नहीं की जा सकती है। यह भी उल्लेख है कि दो अभिरक्षण उपायों के बीच सामान्य अन्तराल कम–से–कम दो वर्ष का होना चाहिए। यद्यपि इस नियम को शिथिल कर दिया जाता है, जब कोई अभिरक्षण उपाय केवल 180 दिवस या उससे कम के लिए अधिरोपित किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में मूल अभिरक्षण उपाय की समाप्ति के एक वर्ष उपरान्त कोई अभिरक्षण उपाय लागू किया जाता है। हाँलाकि यह इस शर्त्त के अधीन होता है कि तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में उस उत्पाद दो से अधिक अभिरक्षण उपाय लागू नहीं किए जाएं। विकासशील देशों के लिए उपर्युक्त शर्त्तें शिथिल कर दी जाती हैं, एवं अमल में नहीं लाने की न्यूनतम अवधि मूल उपाय की अवधि की आधी होती है, जब तक यह अवधि कम–से–कम दो वर्ष की हो।

प्रश्न 19: किसी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) देश द्वारा किए गए अभिरक्षण कार्यवाही के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन में अधिसूचना की क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर: अभिरक्षण उपाय का पहल करनेवाले किसी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) सदस्य देश को अधिसूचना की कई अपेक्षाएं पूरी करनी होती है। इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की अभिरक्षण समिति को छानबीन प्रारम्भ करने की अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। इसे 'गंभीर क्षति' के निष्कर्ष के साथ अभिरक्षण उपाय को लागू

करने या उसका दायरा बढ़ाने के निर्णय को भी अधिसूचित करना पड़ता है। ऐसी अधिसूचनाओं में सुसंगत जानकारी निहित होनी चाहिए, जिन पर निर्णय आधारित होते हैं। यद्यपि सदस्य देश अपनी अधिसूचनाओं की गोपनीय जानकारी को प्रकट करने हेतु बाध्य नहीं हैं। लागू करने से पहले अस्थायी उपायों को भी अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 20: अभिरक्षण उपाय का पहल करनेवाले किसी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) सदस्य देश के लिए परामर्श संबंधी क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर: अभिरक्षण उपाय को लागू करने या उसका दायरा बढ़ाने के पूर्व, किसी डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देश को उन सदस्य देशों के साथ परामर्श का पर्याप्त अवसर देना होता है, जिनके उस उत्पाद के निर्यातक के रूप में वास्तविक हित होते हैं। ऐसे परामर्श परिस्थितियों के तथ्य, प्रस्तावित उपायों पर विचारों के आदान–प्रदान, एवं रियायतों तथा बाध्यताओं के वस्तुतः समान बनाये रखने की सहमति से संबंधित जानकारी की समीक्षा के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे परामर्श के परिणाम को अवश्य अधिसूचित किया जाना चाहिए। जब कोई अस्थायी उपाय अमल में लाया जाता है, तब ऐसे उपाय को लागू करने के तत्काल बाद परामर्श आरंभ कर देना चाहिए।

प्रश्न 21: अभिरक्षण उपाय प्रतिपाटन या अनुदान विरोधी कार्यवाही से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: महत्वपूर्ण अन्तरों में से कुछ निम्नांकित हैं:

(i) अभिरक्षण उपाय का पहल करने के लिए, किसी अनुचित व्यापार व्यवस्था, जैसे कि प्रतिपाटन शुल्क की स्थिति में पाटन तथा प्रतिकारी शुल्क की स्थिति में अनुदान, की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

(ii) एक ओर प्रतिपाटन शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क क्रमशः निर्यातकों एवं ऐसे देशों के प्रति निर्देशित होता है, जो पाटन एवं अनुदानीकरण की अनुचित प्रथा में लिप्त पाये जाते हैं, अभिरक्षण शुल्क सबसे पसंदीदा देश के आधार पर तब लागू किया लाता है

जब ऐसी कार्यवाही करनेवाले देश के आयात में अकस्मात् बढ़ोतरी होती है, तथा जिससे घरेलू बाजार को नुकसान होता है या होने की संभावना रहती है।

(iii) घरेलू उद्योग के लिए प्रतिपाटन शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क की किसी संरचनात्मक सुधार योजना की आवश्यकता नहीं होती है तथा उस अवधि के लिए क्षतिपूर्त्ति के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती जब ऐसा शुल्क तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रभावी रहता है, परन्तु अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित करते समय ये आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं।

(iv) अभिरक्षण शुल्क शुल्क में वृद्धि या नियतांश के अध्यारोपण का रूप ले सकता है, जबकि प्रतिपाटन या प्रतिकारी शुल्क केवल शुल्क में वृद्धि के रूप में लागू किए जा सकते हैं।

(v) अभिरक्षण कार्यवाही के लिए क्षति निर्धारण करने का मानक उच्चतर है क्योंकि, छानबीन से घरेलू उद्योग की 'गंभीर क्षति' प्रमाणित की जानी होती है, जबकि प्रतिपाटन या प्रतिकारी शुल्क के लिए मानक थोड़ा निम्नतर है, जैसे कि 'भौतिक क्षति' को प्रमाणित करना।

(vi) प्रतिपाटन या प्रतिकारी कार्यवाही के लिए क्षति का निर्धारण समान घरेलू उत्पादों के सापेक्ष होता है, जबकि अभिरक्षण कार्यवाही के लिए क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग के एक विस्तृत क्षेत्र, जैसे कि समान उत्पादों एवं प्रत्यक्षतः प्रतियोगी उत्पादों के संदर्भ में होता है।

(vii) घरेलू उघोग की क्षति को निश्चित करने के लिए मापदंडों का सूचक–समूह अभिरक्षण उपायों की अपेक्षा प्रतिपाटन एवं प्रतिकारी उपायों के लिए अधिक बड़ा है। कुछ अतिरिक्त मापदंडों, जिन पर अभिरक्षण कार्यवाही को छोड़कर प्रतिपाटन एवं अनुदानविरोधी कार्यवाही हेतु विचार किया जाना चाहिए, में निवेश से आय पर प्रभाव, नगद प्रवाह, सामग्री, मजदूरी एवं पूंजी निर्माण की योग्यता शामिल हैं।

भारतीय अभिरक्षण कानून

प्रश्न 1: भारतीय संदर्भ में अभिरक्षण शुल्क लागू करने के सुसंगत कानून एवं नियम क्या हैं?

उत्तर: सुसंगत कानून एवं नियम निम्नांकित हैं:

(i) सीमा शुल्क प्रभार अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी एवं 8 सी

(ii) सीमा शुल्क प्रभार (अभिरक्षण शुल्क अभिज्ञान एवं मूल्यांकन) नियम, 1977

(iii) सीमा शुल्क प्रभार (परिवर्त्ती उत्पाद–विशेष अभिरक्षण शुल्क) नियम, 2002

उपर्युक्त कानूनों की पाठ्य सामग्री, वेबसाइट www.dgsafeguards.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न 2: भारत में कौन–सा प्राधिकरण अभिरक्षण शुल्क अध्यारोपित करता है?

उत्तर: भारत में अभिरक्षण कार्यवाही करने वाला विवेचना प्राधिकारी राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत महानिदेशक (अभिरक्षण) होता है। यह भाई वीर सिंह सदन, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली में स्थित है। अपनी विवेचना के निष्कर्ष के आधार पर, वह वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यशील अभिरक्षण पर स्थायी समिति को अभिरक्षण शुल्क का अधिरोपण अनुशंसित करता है। स्थायी समिति के विचारों के साथ महानिदेशक (अभिरक्षण) की अनुशंसा को वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा स्वीकृति उपरांत, इसे राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

प्रश्न 3: भारतीय प्राधिकारियों द्वारा अभिरक्षण उपाय किस रूप में किए जाते हैं?

उत्तर: भारत में अभिरक्षण उपाय शुल्क दर में वृद्धि के रूप में किए जाते हैं, न कि गुणात्मक प्रतिबंध के रूप में। शुल्क में वृद्धि निर्धारित दर से कम या अधिक हो सकता है। परंतु, विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन)

अधिनियम में संशोधन विचारार्थ है, जिसके द्वारा अभिरक्षण उपाय नियतांश के रूप में भी लागू किया जा सकता है।

प्रश्न 4: अभिरक्षण उपाय लागू करने के लिए भारत सरकार से कौन अनुरोध कर सकता है?

उत्तर: किसी उत्पाद पर अभिरक्षण शुल्क के अधिरोपण हेतु अनुरोध उक्त उत्पाद के उत्पादक या निर्माता, या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी उत्पाद के उत्पादक या निर्माता, या उक्त उत्पाद के व्यापार प्रतिनिधि निकाय या ऐसे उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग को संसूचित करने वाली किसी एकल संस्था या समूह द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न 5: किस उत्पाद पर अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है?

उत्तर: किसी भी उत्पाद पर अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है, यदि आयात में वृद्धि के कारण समान या प्रत्सक्षतः प्रतियोगी उत्पाद के घरेलू उघोग को गंभीर क्षति हो।

प्रश्न 6: भारत के महानिदेशक (अभिरक्षण) को प्रस्तुत आवेदन में क्या जानकारी देनी होती है?

उत्तर: महानिदेशक (अभिरक्षण) द्वारा आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया गया है तथा यह वेबसाईट, www.dgsafeguatrds.nic.in पर उपलब्ध है।

आवेदन में मुख्यतः आवेदक की जानकारी, उत्पाद का विवरण, मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से विगत तीन वर्षो की न्यूनतम अवधि हेतु आयात की जानकारी, विक्रय, क्षमता उपयोग, नियोजन, आय व व्यय, तथा अन्य आर्थिक मापदंड जो भारत के घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हों, निहित होते हैं।

प्रश्न 7: आयात के आँकड़े, उत्पादन इत्यादि जानकारी किस प्रकार संग्रह की जा सकती है?

उत्तर: सरकार महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता के माध्यम से भारत के समस्त आयात एवं निर्यात की जानकारी संग्रह तथा प्रकाशित करती है। डीजीसीआई एंड एस के अलावा आईबीआईएस जैसी अन्य गैर–सरकारी एजेंसी भी आयात एवं

निर्यात की जानकारी संग्रह करती हैं तथा भुगतान करने पर सूचना उपलब्ध कराती हैं। अन्य समस्त सूचना घरेलू उघोग से संबंधित सूचना होती है, जो आवेदकों के पास उपलब्ध होती हैं।

प्रश्न 8: क्या महानिदेशक (अभिरक्षण) को प्रस्तुत गोपनीय आँकड़े सहित समस्त आँकड़े सार्वजनिक जानकारी की श्रेणी में आते हैं?

उत्तर: नहीं, अभिरक्षण शुल्क नियमों के अधीन यह प्रदत्त है कि महानिदेशक (अभिरक्षण) ऐसी जानकारी को गोपनीय रखेगा जिसकी प्रकृति गोपनीय है, या जो गोपनीय आधार पर प्रदान किया जाता है। यद्यपि गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को इसकी अगोपनीय संक्षेपिका प्रस्तुत करनी होती है।

प्रश्न 9: आवेदन दर्ज कराने के बाद अभिरक्षण शुल्क अधिरोपण के लिए न्यूनतम अवधि क्या होती है?

उत्तर: यदि परिस्थितियाँ विषम हो, अर्थात् जहाँ देरी के कारण ऐसी क्षति संभावित हो जिसकी प्रतिपूर्ति कठिन हो, अधिकतम दो सौ दिनों के लिए अस्थायी अभिरक्षण शुल्क तत्काल अधिरोपित किया जा सकता है। यद्यपि ऐसा शुल्क, वापस किया जाता है, जब अंतिम निर्धारण पर केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात होता है कि आयात वृद्धि से धरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

सामान्य प्रक्रिया में अभिरक्षण अन्वेषण को अन्वेषण की शुरूआत के आठ महीने के अन्दर पूर्ण करना होता है। अन्वेषण की समाप्ति पर महानिदेशक (अभिरक्षण) भारत सरकार को अभिरक्षण शुल्क लागू करने की अनुशंसा करते हैं। हाँलाकि सरकार के लिए ऐसी अनुशंसा को स्वीकार या अमान्य करने की कोई समय सीमा नहीं है।

प्रश्न 10: अभिरक्षण शुल्क लागू रहने की स्थिति में भारत के घरेलू उद्योग को क्या करना होता है?

उत्तर: अभिरक्षण शुल्क एक अस्थायी अवधि के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि घरेलू उद्योग डब्ल्यू.टी.ओ की बाध्यताओं के अनुरुप आवश्यक सकारात्मक सामंजस्य बिठाने में समर्थ हो। अतः घरेलू

उघोग को ऐसी समन्वयकारी योजना क्रियान्वित करनी होती है, जिसे महानिदेशक (अभिरक्षण) के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो तथा उनके द्वारा स्वीकृत हो।

प्रश्न 11: क्या राजस्व विभाग द्वारा एक बार लागू शुल्क की समय–समय पर समीक्षा की जाती है?

उत्तरः हाँ, लागू अभिरक्षण शुल्क की निम्नांकित परिस्थितियों में समीक्षा की जाती है।

(i) महानिदेशक समय–समय पर अभिरक्षण शुल्क को निरन्तर रखने की आवश्यकता की समीक्षा करते हैं और यदि वह उनके द्वारा प्राप्त इस आशय की सूचना कि गंभीर क्षति को रोकने या पूर्ति के लिए अभिरक्षण शुल्क आवश्यक है, तथा घरेलू उघोग द्वारा सकारात्मक रूप से सामंजस्य के प्रमाण हैं, से संतुष्ट हों तो वह शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की अनुशंसा कर सकते हैं। यदि ऐसे शुल्क को निरन्तर जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो वे केन्द्रीय सरकार को इसके वापसी की अनुशंसा कर सकते हैं। जब अभिरक्षण शुल्क लागू करने की अवधि तीन वर्षो से अधिक हो, महानिदेशक इसकी समीक्षा, जो कि मध्यावधि के बाद नहीं हो, करेगा तथा यदि उचित हो, ऐसे अभिरक्षण शुल्क की वापसी या शुल्क और अधिक उदार बनाने की अनुशंसा करेगा।

(ii) अभिरक्षण शुल्क लागू रहने के कारण विपरीत रूप से प्रभावित अन्य पक्षकार भी अभिरक्षण शुल्क की समीक्षा का आवेदन कर सकते हैं; ताकि यह स्पष्ट हो कि क्यों अभिरक्षण शुल्क की निरंतरता को समाप्त करने के अनुरोध के बाद अभिरक्षण शुल्क का अधिरोपण आवश्यक नहीं है।

(iii) घरेलू उद्योग महानिदेशक को अभिरक्षण शुल्क को निरंतर रखने या परिवर्तित करने के लिए अभिरक्षण शुल्क की समीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 12: अभिरक्षण शुल्क किसे भुगतान करना पड़ता है?

उत्तर: अभिरक्षण शुल्क उन सामग्रियों के समस्त आयातकों को अदा करना होता है, जिन पर ऐसा शुल्क अधिरोपित किया जाता है। यद्यपि ऐसे विकासशील देशों से आयात पर कोई ऐसा शुल्क नहीं अदा किया जाता है, जहाँ से आयात की मात्रा कम हो, यानी आयातित उत्पाद के कुल परिमाण में ऐसे विकासशील देश का हिस्सा तीन प्रतिशत से कम हो, तथा जहाँ एक से अधिक ऐसे विकासशील देश हों, वहाँ समान या सीधे तौर पर प्रतियोगी उत्पाद के आयात के सकल परिमाण में आयात का सामूहिक अंश नौ प्रतिशत से कम हो।

प्रश्न 13: अभिरक्षण अन्वेषण के पक्षकार कौन होते हैं?

उत्तर: अभिरक्षण अन्वेषण के दो प्रकार के पक्षकार होते हैं। घरेलू उद्योग पहला पक्षकार होता है जो अभिरक्षण शुल्क लागू करने की वकालत करता है, तथा दूसरे पक्षकार अन्य हितग्राही पक्षकार होते हैं, जो निर्यातक देश, विदेशी निर्यातक, अन्तिम उपयोगकर्त्ता या उपभोक्ता हो सकते हैं। अन्य हितग्राही पक्षकार अभिरक्षण शुल्क के अधिरोपण का विरोध करते हैं क्योंकि उनके बाजार पहुँच या अन्तिम उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर अभिरक्षण शुल्क लागू होने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

महानिदेशक (अभिरक्षण) को सभी पक्षकारों को सुनना पड़ता है, तथा अभिरक्षण शुल्क को लागू करने या नहीं करने की अनुशंसा को युक्तिसंगत बताते हुए अपने निष्कर्षों की सार्वजनिक सूचना जारी करनी पड़ती है।

प्रश्न 14: क्या महानिदेशक के निष्कर्षों के विरूद्ध कोई अपील हो सकती है?

उत्तर: कानून में अपील के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है और न्यायालय सामान्यतया महानिदेशक (अभिरक्षण) के निष्कर्षों के खिलाफ किसी याचिका की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे निष्कर्ष सरकार को अनुशंसाएं मात्र होती हैं।

प्रश्न 15: क्या सरकार के अभिरक्षण शुल्क लागू करने या नहीं करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होती है?

उत्तर: अभिरक्षण कानून में सरकार के निर्णय के विरूद्ध किसी अपील का प्रावधान नहीं है। हालांकि पीड़ित पक्षकार याचिका द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है।

प्रश्न 16: निर्यातक देशों के पास क्या विकल्प उपलब्ध है, यदि वे भारत सरकार के अभिरक्षण शुल्क लागू करने के निर्णय से संतुष्ट नहीं हों?

उत्तर: पीड़ित निर्यातक डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य देश भारत को द्विपक्षीय परामर्श के आमंत्रित कर सकता है। यदि ऐसे परामर्श से कोई समझोता नहीं हो पाता है, तो प्रभावित देश या देश–समूह डब्लयू.टी.ओ. की विवाद निराकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत विवाद निराकरण कार्यवाही की पहल कर सकते हैं।

प्रश्न 17: किन परिस्थितियों में प्रतिपाटन शुल्क, प्रतिकारी शुल्क या अभिरक्षण शुल्क के लिए आवेदन करना चाहिए?

उत्तर: परिस्थितियां नीचे सारणीबद्ध रूप से अंकित है:

प्रतिपाटन शुल्क	प्रतिकारी शुल्क	अभिरक्षण शुलक
(i) यदि सामग्री का आयात पाटित मूल्य पर हुआ हो	यदि सामग्री निर्यात के देश में अनुदान–प्रदत्त हो	यदि सामग्री की बढ़ी हुई मात्रा में आवक हो
(ii) यदि पाटित आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति या मंदी होती हो या होने की संभावना हो	यदि अनुदान–प्रदत्त आयात से घरेलू उद्योग की भौतिक क्षति या मंदी होती हो या उसकी संभावना हो	यदि बढ़े हुए आयात से समान या सीधे तौर पर प्रतियोगी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुँचती है या पहुँचने की आशंका होती है

प्रश्न 18: क्या कोई प्रतिपाटन या अभिरक्षण शुल्क के लिए साथ–साथ आवेदन कर सकता है?

उत्तर: हां, सिद्धान्ततः साथ–साथ आवेदन करना संभव है, परंतु व्यावहारिक रूप से यह कठिन हो सकता है क्योंकि आवेदकों को केवल बढ़े हुए आयात के कारण तथा पाटन के कारण हुई क्षति की मात्रा को पृथक्–पृथक् दिखाना होता है।

प्रश्न 19: क्या भारतीय विदेश व्यापार नीति एवं एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) अधिनियम में कार्यशील निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत किए गए आयात पर अभिरक्षण शुल्क प्रभावी होता है?

उत्तर: सामान्यतया शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाईयों द्वारा आयात को छोड़कर समस्त आयात पर अभिरक्षण शुल्क लागू होता है, परंतु सरकार कभी–कभी किसी अन्य निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत किए गए आयात को भी अभिरक्षण शुल्क से छूट देती है।

प्रश्न 20: क्या चीन से आयात के विरूद्ध किसी विशेष अभिरक्षण शुल्क का प्रावधान है?

उत्तर: हाँ, सीमाशुल्क प्रभार अधिनियम 1975 की धारा 8 सी के अधीन चीन से आयात के विरूद्ध एक पृथक प्रावधान है। चीन से आयातित सामग्री पर अभिरक्षण शुल्क लगाया जा सकता है, जब आयात में वृद्धि से 'बाजार विघटन' हो या होने की आशंका हो। 'बाजार विघटन' शब्द 'गंभीर क्षति' शब्द से नरम है। 'बाजार विघटन' शब्द से सामान्यतया 'घरेलू बाजार' बाजार को भौतिक क्षति का अर्थ व्यक्त स्पष्ट होता है।

प्रश्न 21: सामान्य अभिरक्षण उपायों एवं चीन–विशेष अभिरक्षण उपायों के संदर्भ में अभिरक्षण अन्वेषण की प्रक्रिया में क्या भेद है?

उत्तर: दोनों ही परिस्थितियों में अभिरक्षण अन्वेषण की प्रक्रिया एवं आवेदन के प्रारूप समान होते हैं।

प्रश्न 22: वे कौन–सी प्रमुख उत्पाद श्रेणियाँ है, जिन पर भारत में अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित है?

उत्तर: भारत में अभिरक्षण शुल्क अधिरोपित प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में अकार्बनिक रसायन (एसीटीलीन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, गामा फेरिक ऑक्साईड), चुम्बकीय लौह ऑक्साईड, डाईमिथोएट टेक्नीकल, सोडा एश), कार्बनिक रासायन (प्रोपीलीन ग्लाईकोल, फेनोल, एसीटोन, एपीक्लोरोहाईड्रीन), स्टार्च, परिवर्द्धित स्टार्च तथा सॉगो, एल्यूमीनियम लैट रॉल्ड उत्पाद तथा एल्यूमीनियम फॉइल शामिल हैं।

प्रश्न 23: वर्त्तमान में (31 जुलाई 2009 की स्थिति में) भारत में किन उत्पादों पर अभिरक्षण शुल्क लागू है?

उत्तर: वर्त्तमान में अभिरक्षण शुल्क थैलिक एनहाईड्राइट, सोडा एश, एल्यूमीनियम लैट राल्ड उत्पाद, एल्यूमीनियम फॉइल तथा डाईमिथोएट टेक्नीकल पर लागू है।

प्रश्न 24: डब्ल्यू.टी.ओ प्रावधान के अलावा, क्या अभिरक्षण शुल्क लागू करने के कोई अन्य प्रावधान हैं?

उत्तर: डब्ल्यू.टी.ओ. प्रावधान अभिरक्षण उपाय का अनुषीलन बहुपक्षीय संदर्भ में करते हैं। हॉलांकि अभिरक्षण कार्यवाही अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीएज)/मुक्त व्यापार समझौता (एफटीएज) के क्रियान्वयन के संबंध में भी की जा सकती है। पीटीएज/एफटीएज के अन्तर्गत अभिरक्षण कार्यवाही की जा सकती है, जब घरेलू उघोग को आयात में वृद्धि के कारण क्षति पहुँचती है, तथा इस वृद्धि का पीटीए/एफटीए के अन्तर्गत निर्धारित कम शुल्क की दर पर आयात से हेतुक संबंध होता है।

प्रश्न 25: भारत द्वारा हस्ताक्षरित किन पी टी एज/एफ टी एज के अधीन अभिरक्षण कार्यवाही की जा सकती है?

उत्तर: अधिमान्य अभिरक्षण कार्यवाही से संबद्ध प्रावधान भारत द्वारा हस्ताक्षरित लगभग सभी पी टी एज/एफ टी एज में मौजूद हैं। हॉलांकि अधिमान्य अभिरक्षण कार्यवाही आरंभ करने की प्रक्रिया तथा किए जाने वाले अन्वेषण की प्रकृति, यदि कोई हो, एक समझोते से

दूसरे समझोते में भिन्न होते हैं। कुछ पी टी एज एवं एफ टी एज, जैसे कि एशिया पैसीफिक व्यापार समझौता (आप्टा), सामान्यीकृत व्यापार अधिमान्यता पद्धति (जीएसटीपी), भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएलएफटीए), में अनुबंधित पक्षकारों द्वारा आपसी परामर्श से अभिरक्षण कार्यवाही की जा सकती है, जबकि अन्य समझौते, जैसे कि भारत–सिंगापुर एफटीए, भारत–मर्कोसुर एवं भारत–चिली पीटीए, में अधिमान्य अभिरक्षण शुल्क लागू करने से पूर्व विस्तृत छानबीन की जानी होती है।

प्रश्न 26: क्या पीटीए/एफटीए के अन्तर्गत अभिरक्षण की आवश्यकताएँ डब्ल्यू.टी.ओ विधाओं से भिन्न हैं?

उत्तरः डब्ल्यू.टी.ओ एवं पी टी ए/एफ टी ए के अन्तर्गत अभिरक्षण के मूल उदेद्श्य समान हैं जैसे कि समान उत्पादों के आपात में वृद्धि से घरेलू उघोग की रक्षा करने के लिए अस्थायी तौर पर नियत सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर पलायन उपबंध प्रदान करना। हाँलाकि दोनों प्रकार के अभिरक्षण में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं, जो नीचे अंकित हैः

(i) डब्ल्यू.टी.ओ अभिरक्षण समस्त देशों से आयात पर सर्वाधिक पसंदीदा देश (एमएफएन) के आधार पर लागू होता है; अधिमान्य अभिरक्षण केवल उसी देश/क्षेत्र पर लागू होता है, जो प्रशुल्क छूट प्राप्त करने वाले पी टी ए/एफ टी ए के पक्षकार होते हैं।

(ii) डब्ल्यू.टी.ओ के अन्तर्गत अभिरक्षण शुल्क एमएफएन प्रभारी पद के अतिरिक्त लागू होता है, लेकिन अधिमान्य अभिरक्षण कार्यवाही के अन्तर्गत अभिरक्षण शुल्क किसी नियम समय सीमा में किसी उत्पाद पर प्रभार शुल्क में छूट की आंशिक या पूर्ण वापसी के रूप में प्रभारी होता है।

(iii) वैधानिक रुप से महत्वहीन तथ्यों, आवेदन अवधि एवं क्षतिपूर्त्ति से संबंधित प्रावधान बदलते हैं। यह एक समझौते से दूसरे समझौते में भिन्न होता है।

प्रश्न 27: कोई अधिमान्य अभिरक्षण उपाय किस प्रकार लागू किया जा सकता है?

उत्तर: अधिमान्य अभिरक्षण उपाय लागू करने की शर्तें निम्नांकित हैं:

(i) उत्पाद पर प्रशुल्क की अधिमान्यता होनी चाहिए,

(ii) प्रदान किए प्रशुल्क अधिमान्यता के कारण उत्पाद के आयात में वृद्धि होनी चाहिए,

(iii) समान या एक ही उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को आयात में वृद्धि से क्षति होनी चाहिए या क्षति संभावित होनी चाहिए।

विपरीत रूप से प्रभावित उद्योग को, अभिरक्षण कार्यवाही की पहल को युक्तिसंगत बताने वाले समस्त तथ्यों के साथ सरकार की शरण में जाना पड़ता है।

प्रश्न 28: अधिमान्य अभिरक्षण कार्यवाही को आरंभ करने हेतु भारत में किस एजेंसी के पास जाना पड़ता है?

उत्तर: भारत–नेपाल द्विपक्षीय व्यापार वार्ता, भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता भारत–थाईलैंड द्रुत उत्पाद समझौता एवं अन्य पी टी एज के अन्तर्गत अधिमान्य अभिरक्षण उपाय आरंभ करने के लिए, उद्योग को वाणिज्य विभाग या महानिदेशक कार्यालय, मुक्त व्यापार में मुक्त व्यापार प्रकोष्ठ से संपर्क करना पड़ता है। भारत सिंगापुर एफ टी ए, भारत–मर्कोसुर तथा भारत–चिली पीटीए की स्थिति में राजस्व विभाग में अभिरक्षण महानिदेशक से संपर्क करना होता है।

प्रश्न 29: क्या डब्ल्यू.टी.ओ और अधिमान्य अभिरक्षण को साथ–साथ लागू किया जा सकता है?

उत्तर: वैश्विक अभिरक्षण कार्यवाही तथा अधिमान्य अभिरक्षण कार्यवाही प्रकृति में भिन्न हैं तथा उनके लिए निर्धारित अपेक्षा के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। जब कोई अधिमान्य अभिरक्षण उपाय लागू कर दिया जाता है, वैश्विक अभिरक्षण कार्यवाही भी आरंभ की जा सकती है यदि डब्ल्यू.टी.ओ. अभिरक्षण समझौते की शर्तें पूर्ण कर दी जाती हैं। अन्यथा जब वैश्विक अभिरक्षण उपाय लागू कर दिया जाता है, अधिमान्य अभिरक्षण उपाय का पुनः अधिरोपण संबंधित पीटीए/एफटीए में सहमत विधाओं पर निर्भर होगा।

संबंधित वेबसाईट

- www.commerce.nic.in
- www.wto.org
- www.unctad.org
- www.worldbank.org
- www.wipo.int
- www.fao.org
- www.unescap.org
- www.artnetontrade.org

डब्लूटीओ केंद्र के बारे में

डब्लूटीओ अध्ययन केंद्र संस्थान में नवम्बर 2002 से कार्य कर रहा है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य डब्लूटीओ से संबंधित चिन्हित मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय को अनुसंधानात्मक व विश्लेष्णात्मक सहायता प्रदान करता है।

केंद्र हाल में बहुत मजबूत हुआ है। इसे अब अधिक मान्यता मिली है और यह केंद्र अनुसंधान गतिविधियां चलाता है, डब्लूटीओ से संबंधित मुद्दों पर मुखपत्र प्रकाशित करता है। सेमिनार, कार्यशाला विषय आधारित बैठकों आदि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा व्यापार स्त्रोत् केंद्र में महत्वपूर्ण डब्लूटीओ दस्तावेज एकत्रित करता है। केंद्र के कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए परिचालन समिति गठित की गई है। केंद्र इस समय निम्न डब्लूटीओ संबंधित विषयों पर अनुसंधान गतिविधियों लगा हुआ है।

- **कृषि**
- **बौद्धिक संपदा अधिकार**
- **स्वछता एवं स्वास्थ उपायों पर समझौता**
- **व्यापार में तकनीकी अवरोध पर समझौता**
- **व्यापार सुविधा**
- **तकनालॉजी अंतरण**
- **पर्यावरण एवं व्यापार से संबंधित मुद्दे**
- **श्रम संबंधी मुद्दे**

डब्लूटीओ केंद्र और इसकी गतिविधियों पर और अधिक जानकारी इसकी वेबसाईट http://wtocentre.iift.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएफटी भवन, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26564409
E-mail: editor_wtocentre@iift.ac.in